

ला०-४५३७/२०१८/स/भ/भूद्य

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

म०प्री विकास इडवी
इरा०वे० | १८-७-८८
म०



जयवीर यादव तनय राजमणि यादव, साकिन सिरसी, तहसील
गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0)

आवेदक

बनाम

मृत जगजीवन द्वारा विधिक प्रतिनिधि :-

- 1- श्रीमती छोटी उर्फ बोदौआ विधवा पत्नी जगजीवन
- 2- निर्मल यादव तनय जगजीवन यादव
- 3- कमोद तनय जगजीवन यादव
- 4- मुन्नी पुत्री जगजीवन यादव

साकिन सिरसी, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0)

अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार, तहसील
गोपदबनास, जिला सीधी दिनांक
वावत् प्र०क०-११-अ-१९/१९८६-८७
अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

२

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत है।
- 2- यह कि विवादित भूमि नं०-५९९ शासकीय जंगल की भूमि थी और खसरे में भी जंगल दर्ज था और शासकीय जंगल की भूमि पर किसी व्यक्ति को भूमिस्वामी अधिकार किसी के द्वारा नहीं दिये जा सकते और ना ही शासकीय जंगल की भूमि को धारा 237 के अधीन परिवर्तित कर किसी को भूमिस्वामी हक दिया जा सकता।



मृत जगजीवन

५००९

294

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R-4539-संघ/118 जिला..... सीधा.....

उपवीर यादव विरुद्ध नीमती दोटी चम्प बोदेश्वर ७५०-

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री विकास विवेदि अधिवक्ता</p> <p>द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील गोपद बनास (सीधा) के</p> <p>प्रकरण क्रमांक ॥।अ. 19/ 86-87 में पारित आदेश</p> <p>दिनांक + के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-</p> <p>राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप</p> <p>अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)</p> <p>के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधा के न्यायालय</p> <p>को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ८-३-१९ को</p> <p>कलेक्टर सीधा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	सदस्य

८/1286-२